



बीएसएल लिमिटेड

कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नम्बर (सीआईएन) : L24302RJ1970PLC002266

पंजीकृत कार्यालय : 26, इंडस्ट्रीयल एरिया, गाँधी नगर, भीलवाड़ा - 311 001 (राजस्थान)

फोन : +91-1482-246801 से 246806, फ़ैक्स : +91-1482-246807, 246157

ई-मेल : accounts@bslsuitings.com, वेबसाइट : www.bslltd.com

47वीं वार्षिक साधारण सभा,

रिमोट ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लॉसर की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 47वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 26, औद्योगिक क्षेत्र, गाँधी नगर, भीलवाड़ा-311001 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना के साथ वित्ति वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स(ओ) के साथ पंजीकृत है, भेज दी गई है। एजीएम की सूचना के साथ वित्ति वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम से भेजी जा चुकी है। कथित सूचना का प्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक तथा भौतिक दोनों माध्यम से, 01 सितंबर, 2018 को पूर्ण कर लिया गया है। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.bslltd.com एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। वे सदस्य जिन्हें सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे उपरोक्त वेबसाइट से अवतरित कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति हेतु कंपनी से अनुरोध कर सकते हैं।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शनिवार, 22 सितंबर 2018 से शुक्रवार, 28 सितंबर 2018 (दोनों दिन शामिल) तक एजीएम तथा 10%, अर्थात् ₹ 10 प्रत्येक के समता अंश पर ₹ 1/-, के समता लामांश की अदाएगी के उद्देश्य से बंद रहेगा। समता अंश(ओ) पर लामांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जायेगा।

कंपनी हर्ष के साथ यह सूचित करती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्राक्धानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2014 के नियम 20 जो कि कंपनी (प्रबंधन और संचालन) संशोधित नियम, 2015 'संशोधन नियम, 2015' के द्वारा प्रतिस्थापित एवं सेबी (सूचीकरण वायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी सदस्यों को सूचना में निहित सभी प्रस्तावों पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग के अवधि मंगलवार, 25 सितंबर, 2018 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा गुरुवार, 27 सितंबर, 2018 को सांय 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति गुरुवार, 27 सितंबर, 2018 को सांय 5:00 बजे के पश्चात् नहीं दी जाएगी। उसके पश्चात् ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा वोटिंग हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

अंशधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात् अंशधारक को उन्हें बदलने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी का शेयर धारण करता है एवं सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2018 तक शेयर धारण करता है, तो उपयोगकर्ता एनएसडीएल की आईडी (evoting@nsdl.co.in) या कंपनी का ईमेल आईडी (accounts@bslsuitings.com) में ईमेल पर अनुरोध कर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोटिंग हेतु मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। वे सदस्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान नहीं कर रहे हों, वे वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने बैठक के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया हो वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाम भोगी स्वामियों के रजिस्टर में 'कट ऑफ' तिथि अर्थात् 21 सितंबर, 2018 को दर्ज हो मात्र वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा अथवा वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु अधिकृत होंगे। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में उल्लेखित है। ई-वोटिंग से सम्बंधित किसी भी प्रश्न हेतु www.evoting.nsdl.com पर सदस्यों हेतु उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) एवं अंशधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल सन्दर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं एवं श्री अमरजीत, वरिष्ठ प्रबंधक, एनसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से फोन: 011-41406148-41406149 अथवा ई-मेल admin@mcsregistrars.com पर संपर्क किया जा सकता है।

निदेशक मंडल ने श्री मनोज माहेश्वरी, संयवसायिक कंपनी सचिव (सदरस्था संख्या FCS 3365) को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच हेतु संघीक्षक नियुक्त किया है।

मंडल के आदेशानुसार

हस्ता./-

प्रवीण जैन

सीएफओ एवं कम्पनी सचिव

स्थान: भीलवाड़ा

दिनांक: 2 सितंबर, 2018